न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं. 11/अपील/2024
(GCMS No. 2024/60)

तारीख दायरा
18.03.2024

तारीख निर्णय
05.02.2025

रमेशचन्द्र आ. मांगीलाल जाति गुर्जर,
निवासी श्योपुरिया की बावडी, तहसील एवं जिला बून्दी — अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी
2. रविन्द्र पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी श्योपुरिया की बावडी
3. रोहित पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी श्योपुरिया की बावडी
4. मोनिका पुत्री शंकर जाति गुर्जर निवासी श्योपुरिया की बावडी
5. रीना पुत्री शंकर जाति गुर्जर निवासी श्योपुरिया की बावडी
6. लविना पुत्री शंकर जाति गुर्जर निवासी श्योपुरिया की बावडी
7. सरिता पुत्री शंकर जाति गुर्जर निवासी श्योपुरिया की बावडी

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से श्री आशुतोष शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से पेरोकार सरकार।
रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 7 की ओर से श्री दुर्गालाल गोचर एडवाकेट

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 201 दिनांक 13.06.2023 ग्राम श्योपुरिया की बावडी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार लालीबाई पत्नी शंकरलाल गूजर एवं शंकर पुत्र मांग्या गूजर के फोत हो जाने पर उनके वारिसान रेस्पो.संख्या 2 लगायत 7 के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 11/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/60 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 लगायत 7 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर अपील में अंकित तथ्यों के अनुरूप वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने में रेस्पोडेंटस को कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट के बडे भाई शंकर आ. मांगीलाल उर्फ मांग्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम श्योपुरिया की बावडी, तहसील बून्दी के खातेदारी में खाता संख्या 16 की कृषि भूमि खसरा संख्या 389/149 रकबा 1.5765 हैक्टेयर वाकेग्राम श्योपुरिया की बावडी में स्थित है। खातेदार शंकर की दिनांक 04.03.2020 को मृत्यु हो चुकी है। रेस्पो.सं. 2 लगायत 7 मृतक खातेदार शंकर के पुत्र व पुत्रियां है। उक्त खातेदार शंकर ने अपने जीवनकाल में स्वस्थ अवस्था में दिनाक 04.12.2017 को उक्त भूमि के संबंध में 100/– के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पर छोटे भाई अपीलांट के पक्ष में अंतिम इच्छा के रूप में वसीयत पत्र तस्दीक कर रूबरू गवाहन हस्ताक्षर कर निष्पादित किया जाकर पब्लिक नोटेरी से तस्दीक करवाया गया। उक्त भूमि खातेदार शंकर की स्वअर्जित सम्पत्ति होने से उसको वसीयत करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार है। खातेदार शंकर की मृत्यु के पश्चात उक्त वसीयत के आधार पर भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने के संबंध में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय रेस्पो.सं.1 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जांच कार्यवाही कर गवाहान के बयान लिपिबद्ध कर प्रकरण सं. 3/2021 में दिनांक 04.09.2023 को वसीयतग्रहिता रमेशचन्द पुत्र मांगीलाल गूर्जर निवासी श्योपुरिया की बावडी के नाम नामान्तरकरण खोलने का निर्णय पारित कर निर्णय पालना हेतु संबंधित हल्का पटवारी को आदेशित किया गया। किन्तु उक्त कार्यवाही के लम्बन के दौरान ही खाता सं. 15 की कृषि भूमि खसरा सं.124 रकबा 0.6383 हैक्टेयर वाकेग्राम श्योपुरिया की बावडी जो लालीबाई पत्नी शंकर जाति गुर्जर निवासी श्योपुरिया की बावडी के नाम दर्ज थी, उक्त खातेदार लालीबाई का करीब 12 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका था, जिसका फोती नामान्तरकरण सं. 201 दिनांक 13.06.2023 के तहत खातेदार लालीबाई के वारिसान रेस्पो.सं. 2 लगायत 7 के नाम दर्ज किया गया, किन्तु इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाता सं.16 की कृषि भूमि खसरा सं. 389/149 रकबा 1.5765 हैक्टेयर वाकेग्राम श्योपुरिया की बावडी का फोती नामान्तरकरण भी रेस्पो.सं. 2 लगायत 7 के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया, जो उसी न्यायालय में लम्बित वाद वसीयत की पालना के दौरान ही तस्दीक कर दिये जाने से विधि अनुरूप नहीं है तथा निरस्त योग्य है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान आगे कथन किया कि खाता संख्या 16 की भूमि बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही परोक्ष आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलांट को पहले उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी। अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.02.2024 को हल्का पटवारी से वसीयत बाबत पारित आदेश की पालना के संबध में सम्पर्क करने पर हुई। नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन पेश किया तथा दिनांक 23.02.2024 को नकल प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर अपील मध्य अवधि पेश की गई है। फिर भी मियाद कंडोन किये जाने हेतु अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अलग से पेश किया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 लगायत 7 द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपील में अंकित तथ्यों के अनुरूप वसीयत के आधार पर नामानतरकरण दर्ज करने में रेस्पोडेंटस को कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 13.06.2023 की दिनांक 21.02.2024 को जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर दिनांक 14.03.2024 को हस्तगत अपील पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि खाता सं. 16 की कृषि भूमि खसरा संख्या 389/149 रकबा 1.5765 हैक्टेयर वाकेग्राम श्योपुरिया की बावडी का खातेदार शंकर आ. मांग्या गूर्जर था। उक्त आराजी के खातेदार शंकर का विरासत का नामान्तरकरण अन्य खाता सं. 15 की खातेदार लाली के फोती नामान्तकरण सं.201 के साथ ही उसके वारिसान रेस्पो.सं. 2 लगायत 7 के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि अपील विषयक आराजी खातेदार शंकर द्वारा उसके पक्ष में वसीयत की हुई होने के बावजूद भी दौराने वाद विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जावे।

जिला कलेक्टर, बूंदी

पत्रावली पर उपलब्ध नोटेरी वसीयतनामा (अंतिम इच्छापत्र) दिनांक 04.12.2017 की छायाप्रति एवं न्यायालय तहसीलदार बून्दी द्वारा मिसल नं. 03/2021 दायरा दिनांक 09.02.2021 में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2023 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। जिससे ज्ञात होता है कि प्रार्थी रमेश आ. मांगीलाल गुर्जर निवासी श्योपुरिया की बावडी द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने बाबत दिनांक 09.02.21 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार बून्दी द्वारा जांच करवाई गई तथा वसीयत के संबंध में गवाहन एवं खातेदार शंकर आ. मांग्या के पुत्र रेस्पो.सं. 2 के बयान लिये गये। तहसीलदार बून्दी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.09.2023 से ग्राम श्योपुरिया की बावडी के ख0नं0 389/149 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा का वसीयतग्रहिता रमेश पुत्र मांगीलाल गुर्जर निवासी श्योपुरिया की बावडी के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश पारित किया गया।

अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 201 दिनांक 13.06.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता सं. 15 की आराजी खसरा संख्या 124 रकबा 0.6383 हैक्टेयर की खातेदारी लालीबाई पत्नी शंकरलाल जाति गूजर निवासी श्योपुरिया की बावडी की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान के पक्ष में विरासत का उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। इसी नामान्तरकरण में अन्य खाता संख्या 16 की आराजी खसरा संख्या 389/149 रकबा 1.5765 हैक्टेयर के खातेदार शंकर आ. मांग्या का विरासत का नामान्तरकरण भी उसके वारिसान के पक्ष में खोल दिया गया, जबकि उक्त आराजी बाबत इसी न्यायालय में वसीयत के आधार पर वसीयतग्रहिता के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र विचाराधीन चल रहा था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके यहां लम्बित वाद के दौरान ही वादग्रस्त आराजी के संबंध में विरासत बाबत आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि किया जाना प्रमाणित होता है।

यहां उल्लेखनीय है कि रेस्पो.सं. 2 लगायत 7 द्वारा पत्रावली पर पेश किये गये अपने जवाब में हस्तगत अपील में अंकित तथ्यों के अनुरूप वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने में रेस्पोडेंटस को कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। दौराने बहस भी अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 लगायत 7 द्वारा वसीयत में अंकित भूमि का नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर दर्ज किये जाने में रेस्पो.सं. 2 लगायत 7 को कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस उभयपक्ष के विवेचन से अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध प्रमाणित होने से निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 201 दिनांक 13.06.2023 वाकेग्राम श्योपुरिया की बावडी निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमियों के खातेदारान के विधिक उत्तराधिकारियों एवं अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दस्तावेज/साक्ष्य आदि रेकार्ड का अवलोकन कर विधिसम्मत आदेश पारित किया जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 05.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी